

बिहार सरकार  
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक फरवरी, 2014

पत्र संख्या-1/एल1-10-01/2010 गृ0आ0 / श्री अरविन्द कुमार, भा0पु0से0 (1997),  
सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) बिहार पुलिस अकादमी, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी)  
नियमावली-1955 के नियम 13 (1) के अन्तर्गत दिनांक 17.09.2013 से 20.10.2013 तक कुल 34  
(चौत्तीस) दिनों का रूपांतरित अवकाश यानी कुल 68 (अड़सठ) दिनों के अद्वैतनिक अवकाश की  
स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल 1-10-01/20110 गृ0आ0 /पटना, दिनांक फरवरी, 2014

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल 1-10-01/20110 गृ0आ0 /पटना, दिनांक फरवरी, 2014


प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल 1-10-01/20110 गृ0आ0 1189 /पटना, दिनांक 18- फरवरी, 2014

प्रतिलिपि :- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई  
दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्री अरविन्द कुमार, भा0पु0से0 (1997), सहायक  
निदेशक (प्रशिक्षण) बिहार पुलिस अकादमी, पटना/ आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव।